

//कार्यालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर (म0प्र0)//

पृ.क्रमांक 215 / सा.अनु. / 12 / 2025, अलीराजपुर, दिनांक 30 / 01 / 2025

प्रतिलिपि :-

माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय,
उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर (म.प्र.)

की ओर श्रीमती दुर्गा सोलंकी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अलीराजपुर जिला अलीराजपुर का पृष्ठांकन क्रमांक 13 / स्टेनो / 2025
अलीराजपुर दिनांक 29.01.2025 के संलग्न प्राप्त वर्ष-2025 का आपराधिक
कार्य विभाजन पत्रक श्रीमान की ओर सादर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अलीराजपुर (म.प्र.)

न्यायालय-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीराजपुर (म0प्र0)

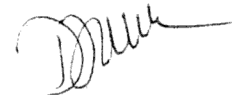
पृष्ठांकन क्रमांक-13 / स्टेनो / 2025

अलीराजपुर, दिनांक 29 / 01 / 2025

प्रतिलिपि:-

- ✓ 1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर।
द्वारा- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, अलीराजपुर (म0प्र0) की ओर सादर प्रेषित।
2. कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, अलीराजपुर की ओर प्रेषित।
3. श्रीमान प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, अलीराजपुर की ओर प्रेषित।
4. श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जोबट की ओर प्रेषित।
5. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अलीराजपुर/जोबट श्री रूपेश कुमार साहू/श्री अंशुल चंद्रा,
/श्री कृष्णपाल सिंह सिसोदिया/श्री क्षितिज शैलेन्द्र पंवार, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
6. श्रीमान जिला दण्डाधिकारी, अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. श्रीमान पुलिस अधीक्षक, अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. जिला लोक अभियोजक/सहायक लोक अभियोजक, अलीराजपुर/जोबट की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
9. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ अलीराजपुर/जोबट की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10. प्रस्तुतकार- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर की ओर प्रेषित।
11. सांख्यिकीय लिपिक, कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न:- वर्ष 2025 का आपराधिक कार्य विभाजन पत्र।



श्रीमती दुर्गा सोलंकी
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अलीराजपुर(म0प्र0)

न्यायालय:-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलीराजपुर (म.प्र.)

जावक क्रमांक 12 / स्टेनो / 2025

अलीराजपुर, दिनांक २७ / 01 / 2025

//आदेश//**{कार्य विभाजन पत्रक-2025}**

मैं श्रीमती दुर्गा सोलंकी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलीराजपुर म.प्र. धारा 13 बी.एन.एस.एस में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2025 के लिये कार्य विभाजन जारी करती हूँ, जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, अलीराजपुर द्वारा अनुमोदन पश्चात अविलम्ब प्रभावशील होगा।

क्रं.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम	कार्य क्षेत्र	आरक्षी केन्द्र	विवरण
1	2	3	4	5
1	श्रीमती दुर्गा सोलंकी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलीराजपुर	अलीराजपुर	1.अलीराजपुर 2. नानपुर 3. आम्बुआ का वह क्षेत्र जो न्यायिक तहसील अलीराजपुर के अंतर्गत आता है।	01. कॉलम नंबर 4 में वर्णित आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न अधिनियमों के ऐसे अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, खात्मा एवं आवेदन पत्र जो बाल न्यायालय एवं ग्राम न्यायालय से संबंधित न हो। कॉलम नं. 4 के आरक्षी केन्द्रों एवं आबकारी वृत्त अलीराजपुर, तथा आबकारी वृत्त कट्ठीवाडा के उत्पन्न अभियोग पत्र, खात्मा, लोक विश्लेषक द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र एवं जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र के खारिजी प्रकरण। 02. कॉलम नंबर 4 में वर्णित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, आबकारी अधिनियम से संबंधित परिवाद पत्र व अभियोग पत्र। 03. श्रम विभाग द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र एवं श्रम न्यायालय के आदेश के उल्लंघन में अभियोजन के प्रकरण।

			04. खनिज अधिनियम से संबंधित परिवाद एवं प्रेस एवं पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम। 05. शिक्षा अधिनियम एवं म.प्र. प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रिय कार्यालय अलीराजपुर म.प्र. द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र। 06. विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर औषधि एवं प्रशासन अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न सभी दांडिक प्रकरण। 07. ईनामी चिट एवं धन परिचलन स्कीम (प्रतिबंधित अधिनियम 1978 एवं ऐसे अन्य अधिनियम जिसके विचारण का क्षेत्र केवल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है।) 08. केन्द्रीय नापतौल विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रकरण। 09. इन्वारमैटल लॉ/पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एवं भारतीय वन अधिनियम से उद्भूत परिवाद/आपराधिक प्रकरण। 10. नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 11. म.प्र.दुकान संस्थान अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण। 12. उक्त कालम नंबर 4 के आरक्षी केन्द्र के क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले अल्प मात्रा पदार्थ, मजिस्ट्रेट वाले मामले एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 की धारा 36(1)(अ) वाले प्रकरण। 13. उक्त कॉलम नंबर 4 के आरक्षी केन्द्र के क्षेत्र से उत्पन्न होने
--	--	--	--

			वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम, से सम्बंधित परिवाद पत्र एवं अभियोग पत्र।
			14. उक्त कॉलम नंबर 4 के आरक्षी केन्द्र के संबंध में मोटरयान अधिनियम, विविध अपराध अधिनियम में प्रस्तुत अभियोग पत्र के निवारण हेतु चलित न्यायालय एवं यातायात पुलिस की ओर से प्रस्तुत अभियोग पत्र। क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी अलीराजपुर के कार्यालय से प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण।
			15. बी.एन.एस.एस की धारा 371, 363, 364 अन्तर्गत भेजे गये प्रकरण।
			16. अभियुक्तों के अभयदान से सम्बंधित आवेदन पत्रों का निराकरण।
			17. संपूर्ण राजस्व जिला अलीराजपुर के समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न खारजी रिपोर्ट।
			18. मनोरंजन एवं सिनेमाटोग्राफी एक्ट से सम्बंधित प्रस्तुत होने वाले मामले।
			19. कॉलम नंबर 04 में वर्णित थाना क्षेत्रों के अन्तर्गत आबकारी विभाग में उत्पन्न होने वाले मामले में प्रस्तुत अभियोग पत्र।
			20. बी.एन.एस.एस की धारा 379 के तहत न्यायिक अधिकारीगण द्वारा प्रस्तुत परिवाद वाले प्रकरण एवं धारा 251 के तहत भेजे गये समस्त प्रकरण।
			21. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी/1743, जबलपुर दिनांक 04.05.

			2016 के अधीन वन और खनन विधि से उत्पन्न समस्त आपराधिक प्रकरण। 22. उक्त कॉलम नंबर 4 के आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले ऐस अन्य अधिनियम जिनका उल्लेख इसमें नहीं आया है उनसे संबंधित परिवाद पत्र अभियोग पत्र व अन्य प्रतिवेदन। 23. उक्त कॉलम नंबर 4 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों के अन्तर्गत उत्पन्न अध्याय-10 बी.एन.एस.एस के अधीन धारा 144 से 147 के अन्तर्गत प्रकरण।
2	श्री रूपेश कुमार साहू, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अलीराजपुर	1. तहसील अलीराजपुर, सोण्डवा, कट्ठीवाडा के समस्त आरक्षी केन्द्र के ग्राम न्यायालय के प्रकरण। 2. सोरवा 3. सोण्डवा 4. बखतगढ	01. तहसील अलीराजपुर, सोण्डवा, कट्ठीवाडा, के समस्त आरक्षी केन्द्र का संपूर्ण थाना अंतर्गत के समस्त अभियोग पत्र, खात्मा, परिवाद पत्र, समस्त आरक्षी आवेदन पत्र जो ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है और उससे उद्भूत आपराधिक प्रकरण है। 02. कॉलम नंबर 04 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों के अन्तर्गत उत्पन्न अपराध से संबंधित समस्त अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, खात्मा आदि, पूर्व आदेशानुसार सम्पादित किये जावेगे। 03. आरक्षी केन्द्र अलीराजपुर, नानपुर एवं सोण्डवा, सोरवा, बखतगढ, आम्बुआ का वह क्षेत्र जो अलीराजपुर तहसील के अंतर्गत आता है एवं जहा पर परिवादी निवास करता हो, के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले परिवाद धारा 138 नेगोसिएबिल एक्ट 1988 एवं आपराधिक प्रकरण।

				04. उक्त कॉलम नंबर 4 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों के अन्तर्गत उत्पन्न अध्याय-10 बी.एन.एस.एस के अधीन धारा 144 से 147 के अन्तर्गत प्रकरण।
				05. समय-समय पर अन्तरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण तथा उन मूल प्रकरणों से संबंधित कार्यवाहियां, जिनका निराकरण संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा किया गया है।
				06. कॉलम नंबर 04 में वर्णित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले अल्प मात्रा पदार्थ वाले मामले एन.डी.पी.एस एक्ट 1985 की धारा 36 (1) अ वाले प्रकरण।
				07. कॉलम नंबर 04 में वर्णित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, आबकारी अधिनियम से संबंधित परिवाद पत्र व अभियोग पत्र।
				08. कॉलम नंबर 04 में वर्णित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले ऐसे अन्य अधिनियम जिनका उल्लेख इसमें नहीं आया है उनसे संबंधित परिवाद पत्र अभियोग पत्र व अन्य प्रतिवेदन।
				09. जिला अलीराजपुर, के समस्त आरक्षी केन्द्र के क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले यातायात से संबंधित ई-चालान (इलेक्ट्रानिक चालान) वर्चुअल कोर्ट द्वारा विचारण।

3	श्री अंशुल चन्द्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अलीराजपुर		1. चांदपुर, 2. कटठीवाडा, 3. महिलाथाना अलीराजपुर	01. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीराजपुर द्वारा विचारणीय प्रकरणों को छोड़कर कालम क्रमांक 4 से सम्बंधित समस्त आरक्षी केन्द्रों का संपूर्ण थाना अंतर्गत के समस्त अभियोग पत्र, खात्मा, परिवाद पत्र, आवेदन पत्र जो ग्राम न्यायालय एवं बाल न्यायालय से संबंधित न हो। 02. समस्त आरक्षी केन्द्र संपूर्ण जिला अलीराजपुर के किशोर न्याय बोर्ड के अंतर्गत आने वाले समस्त परिवाद व आपराधिक प्रकरण। 03. कॉलम नंबर 04 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से संबंधित जहां परिवादी निवास करता हो, के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले परिवाद धारा 138 नेगोसिएबिल एक्ट 1988 एवं आपराधिक प्रकरण। 04. कॉलम नंबर 04 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों के अन्तर्गत उत्पन्न अपराध से सम्बंधित समस्त अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, खात्मा आदि, पूर्व आदेशानुसार सम्पादित किये जावेंगे। 05. कॉलम नंबर 04 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों के अन्तर्गत उत्पन्न अध्याय-10 बी.एन.एस.एस के अधीन धारा 144 से 147 के अन्तर्गत प्रकरण। 06. कॉलम नम्बर 04 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों के अन्तर्गत एवं अलीराजपुर, नानपुर, सोरवा, सोण्डवा, चांदपुर, बखतगढ़, कटठीवाडा, आरक्षी केन्द्र से संबंधित घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
---	--	--	--	--

			07. समय-समय पर अन्तरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण तथा उन मूल प्रकरणों से सम्बंधित कार्यवाहियां, जिनका निराकरण सम्बंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा किया गया है। 08. कॉलम नंबर 4 में वर्णित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले अल्प मात्रा पदार्थ वाले मामले एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 की धारा 36 (1) अ वाले प्रकरण। 09. कॉलम नंबर 4 में वर्णित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, आबकारी अधिनियम से संबंधित परिवाद पत्र व अभियोग पत्र। 10. कॉलम नंबर 4 में वर्णित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले ऐसे अन्य अधिनियम जिनका उल्लेख इसमें नहीं आया है। उनसे सम्बंधित परिवाद पत्र अभियोग पत्र व अन्य प्रतिवेदन।
4	श्री कृष्णपाल सिंह सिसोदिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जोबट	1. जोबट 2. उदयगढ़ 3. बोरी 4. चन्द्रशेखर 5. तहसील जोबट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ग्राम न्यायालय के प्रकरण आता है।	01. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीराजपुर द्वारा विचारणीय प्रकरणों को छोड़कर कालम क्रमांक 4 में वर्णित समस्त आरक्षी केन्द्र के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त अभियोग पत्र, खात्मा, परिवाद पत्र जो बाल न्यायालय व ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित न हो। 02. कॉलम नंबर 04 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से संबंधित जहा पर परिवादी निवास करता हो, के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले परिवाद धारा 138 नेगोसिएबिल एक्ट 1988 एवं आपराधिक प्रकरण।

				03. कॉलम नंबर 04 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से संबंधित आरक्षी केन्द्र में उत्पन्न अध्याय-10 बी.एन.एस.एस के अधीन धारा 144 से 147 के अन्तर्गत प्रकरण।
				04. कॉलम नंबर 04 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध से सम्बंधित समस्त अभियोग पत्र, परिवाद पत्र, खात्मा आदि।
				05. न्यायिक तहसील जोबट के समस्त आरक्षी केन्द्र का संपूर्ण थाना अंतर्गत के समस्त अभियोग पत्र, खात्मा, परिवाद पत्र, आवेदन पत्र जो ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है और उससे उद्भूत आपराधिक प्रकरण है।
				06. आरक्षी केन्द्र जोबट, उदयगढ़, चन्द्रशेखर आजाद नगर, बोरी का संपूर्ण क्षेत्र तथा आरक्षी केन्द्र आम्बुआ, नानपुर का वह क्षेत्र जो न्यायिक तहसील जोबट के अन्तर्गत आता है इन आरक्षी केन्द्रों से सम्बंधित घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
				07. कॉलम नंबर 4 में वर्णित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले अल्प मात्रा पदार्थ वाले मामले एन. डी.पी.एस. एक्ट 1985 की धारा 36 (1) अ वाले प्रकरण, आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधि., खनिज अधि., आबकारी अधिनियम से संबंधित परिवाद पत्र व अभियोग पत्र, खात्मा व आवेदन पत्र।

5	श्री क्षितिज शैलेन्द्र पवार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जोबट	1. आरक्षी केन्द्र आम्बुआ का वह क्षेत्र जो न्यायिक तहसील जोबट के अन्तर्गत आता है। 2. नानपुर थाना के अन्तर्गत जो जोबट तहसील के अन्तर्गत क्षेत्र आते हैं	08. समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण तथा उन मूल प्रकरणों से सम्बंधित कार्यवाहियां। 01. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीराजपुर द्वारा विचारणीय प्रकरणों को छोड़कर कालम क्रमांक 4 में वर्णित समस्त आरक्षी केन्द्र के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त अभियोग पत्र, खात्मा, परिवाद पत्र जो बाल न्यायालय व ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित न हो। 02. कॉलम नंबर 04 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से संबंधित जहा पर परिवादी निवास करता हो, के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले परिवाद धारा 138 नेगोसिएबिल एक्ट 1988 एवं आपराधिक प्रकरण। 03. कॉलम नंबर 04 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों से संबंधित आरक्षी केन्द्र में उत्पन्न अध्याय-10 बी.एन.एस.एस के अधीन धारा 144 से 147 के अन्तर्गत प्रकरण। 04. कॉलम नंबर 4 में वर्णित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले अल्प मात्रा पदार्थ वाले मामले एन. डी.पी.एस. एक्ट 1985 की धारा 36 (1) अ वाले प्रकरण, आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम खनिज अधिकारी, आबकारी अधिनियम से संबंधित परिवाद पत्र व अभियोग पत्र, खात्मा व आवेदन पत्र। 05. समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण तथा उन मूल प्रकरणों से सम्बंधित कार्यवाहियां।
---	--	---	---

// सामान्य नोट //

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी मजिस्ट्रेट मुख्यालय से बाहर प्रस्थान नहीं करेंगे, प्रस्थान करने के पूर्व इसकी सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी मजिस्ट्रेट को भी देंगे।
2. समस्त रिक्त न्यायालय के महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित आपराधिक प्रकरणों में रिक्त न्यायालयों द्वारा जारी स्थाई गिरफ्तारी वारंट, अपीलीय न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्देश, निर्णय का निष्पादन व रिक्त न्यायालय की समस्त कार्यवाही अलीराजपुर जिले से प्राप्त होने वाले स्थाई गिरफ्तारी वारंट एवं अन्य समस्त कार्यवाही के लिए समस्त मजिस्ट्रेट, दिए गए अपने-अपने आरक्षी केन्द्र अनुसार कार्य संपादित करेंगे।
3. समस्त रिक्त न्यायालय के धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरणों में रिक्त न्यायालयों द्वारा जारी स्थाई गिरफ्तारी वारंट, अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश/निर्णय का निष्पादन, अलीराजपुर जिले के साथ-साथ अन्य जिलों से प्राप्त होने वाले स्थाई गिरफ्तारी वारंट एवं अन्य समस्त कार्यवाही के लिए समस्त मजिस्ट्रेट, दिए गए **अपने-अपने आरक्षी केन्द्र अनुसार** कार्य संपादित करेंगे, इसके अतिरिक्त परिवाद पत्र से उद्भूत दांडिक मामले से संबंधित रिक्त न्यायालयों द्वारा जारी किये गये स्थाई गिरफ्तारी वारंट, अपीलीय न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्देश, निर्णय का निष्पादन तथा परिवाद पत्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों के संबंध में रिक्त न्यायालय की अन्य समस्त कार्यवाही के लिए समस्त मजिस्ट्रेट दिए गए **अपने-अपने आरक्षी केन्द्रों** का कार्य संपादित करेंगे।
4. उक्त कंडिका 02 व 03 में की गई व्यवस्था के अतिरिक्त, रिक्त न्यायालयों द्वारा जारी किये गये **स्थायी गिरफ्तारी वारंट**, अपीलीय न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्देश, निर्णय का निष्पादन रिक्त न्यायालय की अन्य समस्त कार्यवाही के लिए समस्त मजिस्ट्रेट दिए गए अपने-अपने आरक्षी केन्द्रों का कार्य संपादित करेंगे तथा जिस न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किये गये हैं और वे वर्तमान में जिला न्यायालय स्थापना में पदस्थ भी हैं, तब जारी किये गये स्थाई गिरफ्तारी वारंट की अन्य समस्त कार्यवाही पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही संपादित की जायेगी। यदि स्थाई गिरफ्तारी वारंट से संबंधित कोई प्रकरण किसी अन्य न्यायालय में लंबित होगा, तो लंबित प्रकरण के साथ वारंट संलग्न कर विचारण करने हेतु सीधे संबंधित न्यायालय को

वारंट, आदेश पत्रिका भेज सकेंगे। पश्चात जहां मामला लंबित होगा, वही मजिस्ट्रेट आगे कार्यवाही करेंगे।

5. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देकर न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले थाना क्षेत्र के **चलित न्यायालय** लगा सकेंगे, किन्तु कार्य दिवस में ऐसा करने के लिये **माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।**

6. **183 बी.एन.एस.एस के तहत कथन लेखबद्ध** करने वाले प्रभारी मजिस्ट्रेट के पास यदि उन्ही के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र का मामला कथन हेतु प्रस्तुत होता है तो कमशः प्रथम, द्वितीय प्रभारी व फिर पश्चातवर्ती मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्यवाही संपन्न की जावेगी।

7. म.प्र. ग्राम न्यायालय अधिनियम 1996 की धारा 16(1) व (2) के प्रावधानानुसार ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरण, संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों में सम्मिलित नहीं माने जावेंगे। ग्राम न्यायालय से संबंधित प्रकरण जो **न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय अलीराजपुर** के क्षेत्राधिकार में आते हैं वे प्रकरण ग्राम न्यायाधिकारी अलीराजपुर द्वारा लिये जायेंगे एवं जोबट ग्राम न्यायालय से संबंधित आपराधिक प्रकरण **न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय जोबट** द्वारा लिये जायेंगे।

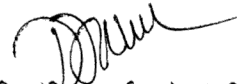
8. न्यायिक अभिरक्षा एवं पुलिस अभिरक्षा में किसी बंदी की मृत्यु होने पर धारा **196 बी.एन.एस.एस** की न्यायिक जांच जिस थाना क्षेत्र का अपराध है उससे संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तथा जो अलीराजपुर जिले के आरक्षी केन्द्रों के आपराधिक प्रकरणों में बंदी निरुद्ध है, मृत्यु होने पर धारा **196 बी.एन.एस.एस** की न्यायिक जांच जिस न्यायालय में प्रकरण लंबित हो वह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तथा जिला कारागार अलीराजपुर में निरुद्ध ऐसे बंदी जो कि अलीराजपुर जिले से बाहर थाना क्षेत्र के आपराधिक प्रकरणों में निरुद्ध है, की मृत्यु होने पर धारा **196 बी.एन.एस.एस** की न्यायिक जांच मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी संपादित करेंगे।

9. "धारा **196 बी.एन.एस.एस** के अंतर्गत मृत बंदियों की न्यायिक जांच से संबंधित अनुरोध पत्र कारागार, अलीराजपुर, जोबट से व संबंधित आरक्षी केन्द्र से प्राप्त होने पर संबंधित न्यायिक दंडाधिकारीगण अपने अधिकारिता वाले आरक्षी केन्द्र के संबंध में विधिवत कार्यवाही अविलम्ब संपादित करेंगे।

10. रिमांड ड्यूटी, वीडियो कान्फ्रेन्सिंग, धारा 183 बी.एन.एस.एस के कथन एवं धारा 196 बी.एन.एस.एस के तहत अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट के किसी कारणवश अवकाश पर रहने या अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होने की स्थिति में उनके स्थान पर आए नवीन न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अथवा न्यायालय रिक्त रहने की दशा में प्रभार अनुसूची क. 1 के अनुसार रहेगा एवं वह विधि अनुसार कार्यवाही यथाशीघ्र संपादित करेंगे।
11. धारा 52-ए एन.डी.पी.सी एक्ट के तहत जप्तशुदा संपत्ति की सेम्पलिंग की कार्यवाही आरक्षी केन्द्र के क्षेत्र अन्तर्गत के प्रभार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा संपादित की जावेगी। यदि संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट अवकाश पर रहने या स्थानान्तरण होने की दशा में अनुसूची क्रमांक 03 में अंकित अनुसार आगामी प्रभार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा संपादित की जावेगी।
12. अनुसूची 01, 02, 03 कार्यविभाजन पत्रक के ही अंग रहेंगे।

अनुमोदित


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अलीराजपुर (म.प्र.)


(श्रीमती दुर्गा सोलंकी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अलीराजपुर (म.प्र.)

// अनुसूची कमांक -01 //

1. न्यायिक दंडाधिकारीगण के अवकाश में रहने पर या न्यायालय रिक्त होने पर, उनके स्थान पर आए नवीन न्यायिक मजिस्ट्रेट या अनुसूची कमांक-1 में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूची के अनुसार अत्यावश्यक न्यायालयीन कार्यों को निष्पादित करेंगे।
2. यदि अनुसूची कमांक 1 में वर्णित प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ प्रभारी अवकाश पर रहते हैं तो मुख्यालय पर उपलब्ध **वरिष्ठतम मजिस्ट्रेट प्रभार में रहेंगे।** अत्यावश्यक मामलों में वे मामले शामिल नहीं होंगे, जिनमें संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया के द्वारा आरोपी अपराध की स्वीकारोक्ति करता है, अथवा जो पहले से किसी न्यायालय में लंबित हो।

क.	पीठासीन अधिकारी	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार	चतुर्थ प्रभार
01	श्रीमती दुर्गा सोलंकी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलीराजपुर	श्री रूपेश कुमार साहू न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अलीराजपुर	श्री अंशुल चन्द्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अलीराजपुर	श्री कृष्णपाल सिंह सिसोदिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जोबट	श्री क्षितिज शैलेन्द्र पवार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जोबट
02	श्री रूपेश कुमार साहू न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अलीराजपुर	श्रीमती दुर्गा सोलंकी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलीराजपुर	श्री अंशुल चन्द्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अलीराजपुर	श्री कृष्णपाल सिंह सिसोदिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जोबट	श्री क्षितिज शैलेन्द्र पवार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जोबट
03	श्री अंशुल चन्द्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अलीराजपुर	श्री रूपेश कुमार साहू न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अलीराजपुर	श्रीमती दुर्गा सोलंकी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलीराजपुर	श्री कृष्णपाल सिंह सिसोदिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जोबट	श्री क्षितिज शैलेन्द्र पवार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जोबट
04	श्री कृष्णपाल सिंह सिसोदिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जोबट	श्री क्षितिज शैलेन्द्र पवार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जोबट	श्री अंशुल चन्द्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अलीराजपुर	श्री रूपेश कुमार साहू न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अलीराजपुर	श्रीमती दुर्गा सोलंकी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलीराजपुर

05	श्री क्षितिज शैलेन्द्र पवार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जोबट	श्री कृष्णपाल सिंह सिसोदिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जोबट	श्री अंशुल चन्द्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अलीराजपुर	श्री रूपेश कुमार साहू, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अलीराजपुर	श्रीमती दुर्गा सोलंकी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलीराजपुर
----	--	--	--	--	--

नोट:- 1. प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड के स्थानांतरण हो जाने अथवा उनके अवकाश पर रहने पर किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा या किन्ही कारणवश उनके भी अनुपलब्ध रहने पर प्रथम प्रभार श्रीमती दुर्गा सोलंकी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय प्रभार श्री रूपेश कुमार साहू, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अलीराजपुर, तृतीय प्रभार श्री कृष्णपाल सिंह सिसोदिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जोबट एवं चतुर्थ प्रभार श्री क्षितिज शैलेन्द्र पवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जोबट पर रहेगा।

2. अलीराजपुर जिला न्यायालय पदस्थापना में रिक्त न्यायालयों में लंबित आपराधिक प्रकरणों के संबंध में समस्त आवश्यक कार्यवाही आगामी आदेश पर्यन्त तक उनके प्रभारी अधिकारीगण द्वारा ही की जावेगी।

3. यह आदेश अनुमोदित दिनांक से प्रभावशील होगा।

अनुमोदित:-


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अलीराजपुर (म.प्र.)


(श्रीमती दुर्गा सोलंकी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अलीराजपुर (म.प्र.)

/// अनुसूची क्रमांक -02///

धारा 183 बी.एन.एस.एस के कथन अंकित किये जाने हेतु नीचे दर्शित आरक्षी केन्द्र के अनुसार निम्नानुसार कार्यभार सौंपा जाता है:-

1. प्रकरणों से संबंधित धारा 183 बी.एन.एस.एस के कथनों हेतु निम्न मजिस्ट्रेटों को आरक्षी केन्द्र का आवंटन निम्नानुसार किया जाता है:-

क.	पीठासीन अधिकारी का नाम	आरक्षी केन्द्र
01	श्रीमती दुर्गा सोलंकी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलीराजपुर	1. चांदपुर, 2. कटठीवाड़ा,
02	श्री रूपेश कुमार साहू न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अलीराजपुर	1. कोतवाली अलीराजपुर, 2. संपूर्ण क्षेत्र महिला थाना अलीराजपुर, 3. आरक्षी केन्द्र आम्बुआ एवं नानुपर का वह क्षेत्र जो न्यायिक तहसील अलीराजपुर के अंतर्गत आता हो,
03	श्री अंशुल चन्द्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अलीराजपुर	1. बखतगढ़, 2. सोण्डवा, 3. सोरवा,
04	श्री कृष्णपाल सिंह सिसोदिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जोबट	1. आरक्षी केन्द्र आम्बुआ का वह क्षेत्र जो न्यायिक तहसील जोबट के अंतर्गत आता है। 2. नानपुर थाना के अंतर्गत जो जोबट तहसील के अंतर्गत क्षेत्र आते हैं
05	श्री क्षितिज शैलेन्द्र पवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जोबट	1. जोबट 2. उदयगढ़ 3. बोरी 4. चन्द्रशेखर आजाद नगर।

नोट:- 1. पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत हुए अपराध के धारा 183 बी.एन.एस.एस के कथन समस्त मजिस्ट्रेट बाल न्यायालय के अपराधों के प्रकरणों को छोड़कर अपने-अपने आरक्षी केन्द्र के कथन लेंगे।

2. किशोर न्याय बोर्ड के क्षेत्राधिकार से संबंधित तहसील अलीराजपुर, सोण्डवा, कटठीवाड़ा के आरक्षी केन्द्र के अपराधों में धारा 183 बी.एन.एस.एस के तहत साक्षी के कथन श्री रूपेश कुमार साहू, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अलीराजपुर के द्वारा कथन लिये जावेंगे एवं उनकी अनुपस्थिति/अवकाश पर होने की स्थिति में प्रथम प्रभार श्रीमती दुर्गा सोलंकी, मुख्य न्यायिक

मजिस्ट्रेट अलीराजपुर, द्वितीय प्रभार श्री कृष्णपाल सिंह सिसोदिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जोबट, एवं तृतीय प्रभार श्री क्षितिज शैलेन्द्र पवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जोबट रहेंगे।

3. किशोर न्याय बोर्ड के क्षेत्राधिकार से संबंधित तहसील चन्द्रशेखर आजाद नगर, जोबट के आरक्षी केन्द्र के अपराधों में धारा **183 बी.एन.एस.एस** के तहत साक्षी के कथन श्री कृष्णपाल सिंह सिसोदिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जोबट के द्वारा कथन लिये जावेंगे एवं अनुपस्थिति/अवकाश पर होने स्थिति में प्रथम प्रभार श्री क्षितिज शैलेन्द्र पवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जोबट, द्वितीय प्रभार श्री रूपेश कुमार साहू, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अलीराजपुर, तृतीय प्रभार श्रीमती दुर्गा सोलंकी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलीराजपुर रहेंगे।

अनुमोदित

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अलीराजपुर (म प्र)

(श्रीमती दुर्गा सोलंकी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अलीराजपुर (म.प्र.)

॥ अनुसूची क्रमांक -03 ॥

1. यदि सूची में वर्णित प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ प्रभारी अवकाश पर रहते हैं, तो धारा 183 बी.एन.एस.एस के कथन अंकित किए जाने हेतु मुख्यालय पर उपलब्ध वरिष्ठतम मजिस्ट्रेट प्रभार में रहेगा।

क.	पीठासीन अधिकारी	पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति की दशा में प्रथम प्रभार	पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति की दशा में द्वितीय प्रभार	पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति की दशा में तृतीय प्रभार	पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति की दशा में चतुर्थ प्रभार
01	श्रीमती दुर्गा सोलंकी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलीराजपुर	श्री रूपेश कुमार साहू न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अलीराजपुर	श्री अंशुल चन्द्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अलीराजपुर	श्री कृष्णपाल सिंह सिसोदिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जोबट	श्री क्षितिज शैलेन्द्र पवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जोबट
02	श्री रूपेश कुमार साहू न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अलीराजपुर	श्रीमती दुर्गा सोलंकी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलीराजपुर	श्री अंशुल चन्द्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अलीराजपुर	श्री कृष्णपाल सिंह सिसोदिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जोबट	श्री क्षितिज शैलेन्द्र पवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जोबट
03	श्री अंशुल चन्द्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अलीराजपुर	श्री रूपेश कुमार साहू न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अलीराजपुर	श्रीमती दुर्गा सोलंकी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलीराजपुर	श्री कृष्णपाल सिंह सिसोदिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जोबट	श्री क्षितिज शैलेन्द्र पवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जोबट
04	श्री कृष्णपाल सिंह सिसोदिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जोबट	श्री क्षितिज शैलेन्द्र पवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जोबट	श्री अंशुल चन्द्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अलीराजपुर	श्री रूपेश कुमार साहू न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अलीराजपुर	श्रीमती दुर्गा सोलंकी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलीराजपुर

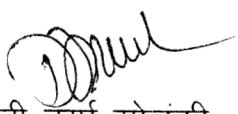
05	श्री क्षितिज शैलेन्द्र पवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जोबट	श्री कृष्णपाल सिंह सिसोदिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जोबट	श्री अंशुल चन्द्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अलीराजपुर	श्री रूपेश कुमार साहू, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अलीराजपुर	श्रीमती दुर्गा सोलंकी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलीराजपुर
----	--	---	--	--	--

नोट:- यदि वह थाना क्षेत्र उस न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय का है तो अनुसूची क्रमांक 03 में अंकित आगामी प्रभार वाले मजिस्ट्रेट के प्रभार में रहेगा।

अनुमोदित दिनांक से प्रभावशील होगा।

अनुमोदित


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अलीराजपुर (म.प्र.)


श्रीमती दुर्गा सोलंकी
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अलीराजपुर म.प्र.